न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 79 / 2022(2022 / 279)

मैसर्स बी.आर मार्बल एण्ड ग्रेनाईट इंपेक्स जर्ये पार्टनरः–

1. सचिन धनजानी पुत्र भोजराज जाति सिन्धी निवासी केकडी जिला अजमेर।
2. रेखा धनजानी पत्नी भोजराज जाति सिन्धी निवासी केकडी जिला अजमेर।

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. किशनलाल पुत्र भूरा जाति लोधा निवासी राजपूरा तहसील सावरं
2. गलकु पत्नी लादू जाति लोधा निवासी राजपूरा तहसील सावरं
3. प्रहलाद पुत्र लादू जाति लोधा निवासी राजपूरा तहसील सावर।
4. भागचन्द पुत्र लादू जाति लोधा निवासी राजपूरा तहसील सावर।
5. कैलाश पुत्र श्योकरण जाति गुर्जर निवासी भाण्डावास तहसील सावर।
6. रामदेव पुत्र श्योजकरण जाति गुर्जर निवासी भाण्डावास तहसील सावर।
7. सुखी पत्नी लाला जाति रेगर निवासी भाण्डावास तहसील सावर।
8. हगामी पत्नी श्योकरण जाति गुर्जर निवासी भाण्डावास तहसील सावर।
9. गोपाल पुत्र भैरू जाति खटीक निवासी सदारा तहसील सावर।
10. भैरू पुत्र हजारी जाति खटीक निवासी सदारा तहसील सावर।
11. तहसीलदार महोदय सावर।

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री आर.पी.अग्रवाल
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 13.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2071–74 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
298–29	1657 / 990	0.3950	बारानी 2
141–138	989	0.5800	बारानी 2

अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के उक्त खेतो के पडोसीयान है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो के आपस में सीमा का विवाद दिनांक 1.4.2022 से चल रहा है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1657 / 1990 व खसरा नंबर 989 की स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि आये दिन विवाद नही हो। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को स्थायी पत्थरगढी करवाने को कहा तो वे तैयार नही हुये अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल कारण 1.4.2022 को माननीय न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.07.22 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with CamScanner

क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है अतः उक्त दोनो खसरो पर स्थायी पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कोई आपत्ति नही होना बताया हस्ताक्षर किये गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 व 10 को बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार है। खातेदार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम भाण्डावास तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 298–29 के खसरा संख्या 1657/990, रकबा 0.3950हैक्टर, तथा खाता संख्या नया–पुराना 141–138 के खसरा संख्या 989, रकबा 0.5800हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.07.22 11:32:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner